

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 561]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

सं. 28/2013-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 732 (अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित “केबल टाइस” (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 392690 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/20/2013-डीजीएडी, तारीख 17 अक्टूबर, 2013, जो भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 17 अक्टूबर, 2013 में प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 56/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 14 दिसम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में सा.का.नि. 891 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं के पहचान, उस प्रतिपाटित शुल्क का

निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 30 अक्टूबर, 2014 तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया गया था।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 18 और 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 56/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 14 दिसम्बर, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 891(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2012 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 में शब्दों और अंकों “30 अक्टूबर, 2013” के स्थान पर “30 अक्टूबर, 2014” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/165/2008-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. 56/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 14 दिसम्बर, 2012 को सा.का.नि. 891(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2013

No. 28 /2013-Customs (ADD)

G.S.R. 732 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/20/2013-DGAD, dated the 17th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th October, 2013, has initiated review in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Cable Ties, falling under sub-heading 3926 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China and Taiwan, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 56/2012-Customs (ADD), dated the 14th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 891(E), dated the 14th December, 2012 and has requested for extension of anti-dumping duty upto 30th October, 2014, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 56/2012-Customs (ADD), dated the 14th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 891 (E), dated the 14th December, 2012, namely: —

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and word “30th October, 2013”, the figures and words “30th day of October, 2014” shall be substituted.

[F. No. 354/165/2008 –TRU (Pt. I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The Principal notification No. 56/2012-Customs (ADD), dated the 14th December, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 891(E), dated the 14th December, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

सं. 29/2013-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 733 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, दक्षिण अफ्रीका में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित अध्याय 27 या 29 के अंतर्गत “फेनोल” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/21/2013-डीजीएडी, तारीख 28 अक्टूबर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 28 अक्टूबर, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्ता मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2013-सीमा-शुल्क, तारीख 3 मई, 2013, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 285 (अ) तारीख 3 मई, 2013 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्ति होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2013-सीमा-शुल्क, तारीख 3 मई, 2013 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 285 (अ) तारीख 3 मई, 2013 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, “30 अक्टूबर, 2013” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “30 अक्टूबर, 2014” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 354/124/2002-टीआरयू (भाग-III)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/2013- सीमा-शुल्क, तारीख 3 मई, 2013, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 3 मई, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2013

No. 29 / 2013-Customs (ADD)

G.S.R. 733(E).— Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/21/2013-DGAD, dated the 28th October, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th October, 2013, had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Phenol, falling under Chapter 27 or 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, South Africa imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2013-Customs, dated the 3rd May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 285 (E), dated the 3rd May, 2013, and has requested for extension of anti-dumping duty upto one more year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2013-Customs, dated the 3rd May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 285 (E), dated the 3rd May, 2013, namely: —

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and word “30th October, 2013”, the figures and words “30th day of October, 2014” shall be substituted.

F. No. 354/124/2002-TRU (Pt.-III)

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 10/2013-Customs, dated the 3rd May, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 285 (E), dated the 3rd May, 2013.